अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

आ०सं०–मु०अ०–4(मु०) काली सूची–34–03/22 – 1855 पटना दिनांक– 21/4/2022

संवदेक हरि ओम फाउन्डेशन प्रा0 लि0, पो0–हरि ओम कुमार सिंह, संगम अपार्टमेंट, आशियाना नगर, पटना (निबंधन सं0–2134/11) को योजनाशीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, अरवल के अधीन रामनगर से नदौरा (पैकेज संख्या–BR-14R-166) पथ के निविदा निष्पादन उनके पक्ष में करते हुए कार्य आवंटित किया गया था। उक्त कार्य का एकरारनामा संख्या–24/PMGSY-2012-13 है। जिसका कार्य समाप्ति की तिथि 04.02.2014 है।

कालांतर में पाया गया कि उक्त पथ का निर्माण कार्य संवेदक हरि ओम फाउन्डेशन प्रा0 लि0 (निबंधन सं0– सं0–2134/11) द्वारा लंबित रखा जा रहा है। पथ निर्माण कार्य कोससमय पूरा नहीं करने एवं अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल के ज्ञापांक–504 दिनांक–30.05.2018 द्वारा एकरारनामा बिखंडित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल के पत्रांक–66 अनु0, दिनांक–20.01.2022 द्वारा संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–1478 दिनांक–28.03.2022 द्वारा संवदेक को पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था। विभाग द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में संवेदक हरि ओम फाउन्डेशन प्रा0 लि0 (निबंधन सं0– सं0–2134/11) द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उनको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संवदेक हरि ओम फाउन्डेशन प्रा0 लि0, पो0–हरि ओम कुमार सिंह, संगम अपार्टमेंट, आशियाना नगर, पटना (निबंधन सं0–2134/11) का यह कृत्य बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के कंडिका 11 (vi) के अनुसार दण्डनीय है।

अतः सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–18.06.2014 के कंडिका 11(vi) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–154, दिनांक–18.06.2015 की कंडिका –8 (1)(a) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में हरि ओम फाउन्डेशन प्रा0 लि0, पो0–हरि ओम कुमार सिंह, संगम अपार्टमेंट, आशियाना नगर, पटना (निबंधन सं0–2134/11) को अगले 10 वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

19/4/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– मु०अ०–4(मु०) काली सूची–34–03/22 – 1855 पटना दिनांक– 21/4/2022

प्रतिलिपि-हरि ओम फाउन्डेशन प्रा0 लि0, पो0–हरि ओम कुमार सिंह, संगम अपार्टमेंट, आशियाना नगर, पटना (निबंधन सं0–2134/11) को सूचनार्थ प्रेषित।

19/4/22

अभियंता प्रमुख

375 / 21/04/2022

ज्ञापांक– मु०अ०–4(मु०) काली सूची–34–03/22 - 1855 पटना दिनांक– 21/04/2022

प्रतिलिपिः– सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग /नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/22

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– मु०अ०–4(मु०) काली सूची–34–03/22 - 1855 पटना दिनांक– 21/04/2022

प्रतिलिपिः– सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/22

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– मु०अ०–4(मु०) काली सूची–34–03/22 - 1855 पटना दिनांक– 21/4/2022

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/22

अभियंता प्रमुख